केन्द्रीय विद्यालय संगठन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26965168 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

एफ. 1-23(3)/2004-केविसं(प्रशा-1) दिनांक: 09.05.2014
04.6.2014

उपायुक्त,
केंद्रीय विद्‌यालय संगठन,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: सिविल/रक्षा क्षेत्र में नए केंद्रीय विद्‌यालय खोलने के लिए संशोधित मानदण्डों का अग्रेषण।

महोदय/महोदया,

केविसं अधिशासी मंडल ने दिनांक 28.1.2014 को आयोजित 96वीं बैठक में सिविल/रक्षा क्षेत्र में नए केंद्रीय विद्‌यालय खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों में कुछ संशोधनों को अनुमोदित किया है।

तदनुसार सिविल/रक्षा क्षेत्र में नया केंद्रीय विद्‌यालय खोलने के लिए संशोधित मानदण्डों का एक सैट(10 पृष्ठ) इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया जा रहा है कि भविष्य में केंद्रीय विद्‌यालय खोलने के नए प्रस्ताव को इन मानदण्डों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही जाँच की जाए।

यह इस विषय में पूर्व में जारी सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए जारी किया जा रहा है।

भवदीय
ई. प्रभाकर

संलग्न: यथोपरि

(डॉ ई. प्रभाकर)
संयुक्त आयुक्त(का.)

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त(प्रशा)/(शैक्षिक) के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. उप सचिव(यूटी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. ~~सहायक आयुक्त~~ उपायुक्त(ईडीपी) को परिपत्र को केविसं की वेबसाइट पर लोड करने के लिए।
5. सभी अधिकारी/अनुभाग, केविसं(मु.) नई दिल्ली।
6. निदेशक, केविसं सभी जीट।
7. प्राचार्य, के.वि. मास्को.काठमांडू एवं तेहरान ।
8. अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त एसोसिएशन ।

****

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26965168 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

अनुलग्नक-1

सिविल और रक्षा क्षेत्र में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मानदण्ड

1. निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रायोजित किए जाने पर ही नया केंद्रीय विद्यालय(सेंट्रल स्कूल) खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा:-

(i) (क) भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा

(ख) राज्य सरकार द्वारा

(ग) संघ शासित प्रशासन द्वारा

(घ) योग्य श्रेणियों (अनुलग्नक-III के अनुसार) के कर्मचारियों के संगठन द्वारा

(ii) नीचे दिए गए अनुसार नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने पर :

क्रम संख्या	स्थिति	भूमि की आवश्यकता(एकड़ में)
1	महानगर	04
2	पहाड़ी क्षेत्र	08
3	शहरी क्षेत्र	08
5	अर्द्ध शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	10

प्रायोजक प्राधिकरण उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार उचित एवं पर्याप्त भू:खण्ड का चयन करने और उसे नि:शुल्क केविसं के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी होगा। **सिविल और रक्षा क्षेत्र में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रायोजक प्राधिकरण को नए केंद्रीय विद्यालय की संस्वीकृति की सूचना दी जाएगी परन्तु प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा उस विद्यालय के लिए चयनित भूमि को लीज पर या स्थायी रूप से केविसं के पक्ष में हस्तांतरित करने और उसका स्वामित्व केविसं को दिए जाने के उपरांत ही नया केंद्रीय विद्यालय खोले जाने संबंधी आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी किए जाएगें। केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति की जानकारी दिए दे दिए जाने के यदि एक वर्ष की अवधि में विद्यालय के लिए आवश्यक भूमि केविसं के पक्ष में हस्तांतरित नहीं की जाती है तो नया केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के स्वीकृति आदेश को वापस ले लिया जाएगा और इसे किसी अन्य उचित स्थान के लिए उपयोग में ले लिया जाएगा। अगर एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत भूमि केविसं के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है तो भूमि हस्तातरण के तुरंत बाद नया केंद्रीय विद्यालय खोले जाने संबंधी प्रशासनिक आदेश जारी कर दिए जाएगें** और प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाए गए अस्थाई भवन में नया केंद्रीय विद्यालय खोल

दिया जाएगा। तथापि रक्षा क्षेत्र में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए एक वर्ष के मानदंड को मामले की मेरिट को देखते हुए शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

(iii) (क) जबकि रक्षा सेवा या केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के उपक्रम के वैयक्तिक या संयुक्त रूप से कम से कम 500 कर्मचारी हो।(विशेष फोकस जिलों के मामले में 250 कर्मचारी होने चाहिए)

(ख) जबकि केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए विर्निदिष्ट श्रेणियों 1 से 4 में बच्चों का न्यूनतम संभावित नामांकन 200 हो या प्रत्येक कक्षा में औसतन 30 या उससे ज्यादा बच्चे हो।

(iv) जब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर स्थायी भवन का निर्माण नहीं कर लेता तब तक प्रायोजक प्राधिकारी को विद्यालय को संचालित करने के लिए बिना किसी किराये या नाममात्र के किराये पर अस्थायी भवन की व्यवस्था करनी होगी; और

(v) प्रायोजक प्राधिकारी को स्टाफ के लिए कम से कम 50% आवासों की व्यवस्था करनी होगी। इस आवासों की संख्या को विद्यालय खोले जाने से पहले चिन्हित करना होगा।

2. नया केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार के उपक्रम के परिसर में भी खोला जा सकता है अगर उपक्रम विद्यालय भवन, भूमि और भविष्य में विकसित की जानी वाली सुविधाओं पर होने वाले आवर्ती और गैर आवर्ती खर्च और साथ में प्रस्तावित विद्यालय जिसकी स्थापना स्थानीय परिस्थितियो को देखते हुए या वैकल्पिक शैक्षिक सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण की गई है के लिए अनुपातिक उपरी खर्च को भी वहन करने के लिए सहमत हो।

3. उच्च शिक्षण संस्थान जैसे आईआईटी, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं आदि के परिसर में ऊपर सार्वजनिक उपक्रमों के क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए लागू शर्तो के आधार पर नया केंद्रीय विद्यालय खोला जा सकता है।

प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर मोहर के साथ

स्थान:

दिनांक:

<u>रक्षा एवं सिविल सेक्टर में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए निबंधन और शर्तें</u>

टिप्पणी: रक्षा/सिविल क्षेत्र में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए लागू निबंधन एवं शर्तो की स्वीकृति प्रायोजक प्राधिकारी के लिए पूर्वशर्त होगी। प्रायोजक प्राधिकारी को निबंधन एवं शर्तो की स्वीकृति को तीन प्रतियों में भरकर देना होगा।

1. <u>सामान्य</u>

क) संगठन किसी भी वर्तमान में संचालित विद्यालय को नहीं संभालेगा ।

ख) संगठन अपनी निर्धारित शिक्षा नीति के आधार पर अपना विद्यालय खोलता है ।

ग) संगठन केंद्रीय विद्यालयों में के जी कक्षाएं नहीं चलाता है।

घ) संगठन वर्तमान में संचालित किसी भी विद्यालय के स्टाफ को नियुक्त करने या अवशोषित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तथापि मौजूदा स्टाफ केंद्रीय विद्यालय द्वारा समय- समय पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के अनुसार आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा और बाहरी आवेदकों के साथ वे भी प्रतियोगी हो सकते हैं।

2. <u>(क) भूमि की आवश्यकता:</u>

विद्यालय भवन के निर्माण के लिए अनुलग्नक -1 के बिंदु 1(ii) में दिए गए अनुसार निर्धारित उचित भू:खण्ड नि:शुल्क या नाममात्र के किराये अर्थात प्रति वर्ष रू 1 की दर से लीज पर उपलब्ध कराना होगा। प्रस्तावित भूमि का साइट प्लान उपलब्ध करना होगा। **चिन्हित भूमि को अनुलग्नक-I के पैरा 1(ii) में दर्शाए अनुसार केंद्रीय विद्यालय खोले जाने से पहले केविसं के पक्ष में हस्तांतरित करना होगा।** नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए यह शर्त अनिवार्य होगी। जब तक संगठन प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर स्थायी भवन का निर्माण नहीं कर लेता है तब तक प्रायोजक प्राधिकारी को बिना किराये के उचित अस्थायी भवन उपलब्ध कराना होगा। भूमि के हस्तांतरण के उपरांत यह अवधि 5 से 7 वर्ष की हो सकती है।

(ख) अस्थायी भवन की आवश्यकता:

प्रारम्भ में विद्यालय को संचालित करने के लिए कम से कम 7 मीटर X 7 मीटर साइज के 20 कमरे, जिनमे प्रत्येक सेक्शन में कम से कम 40 विद्यार्थी बैठ सकते हों, की आवश्यकता होगी। आरम्भ में, यह आवासीय सुविधा कक्षा 1 से 5 तक दो सेक्शन खोलने और उसके उपरांत अगले 3-4 वर्ष तक परिणामी विस्तार एवं प्राचार्य कक्ष, स्टाफरूम, पुस्तकालय कक्ष, विद्यालय ऑफिस और विद्यालय की विविध गतिविधियों के लिए आवास की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित भवन का एक स्केच मानचित्र जिसमें कमरों की साइज भी दर्शाई गई हो को प्रस्ताव के साथ भेजा जाए। एक बार उपलब्ध कराए गए अस्थायी

भवन को किसी भी स्थिति में तब तक वापस नहीं दिया जाएगा तब तक कि संगठन वैकल्पिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो जाए या अपने स्थाई भवन का निर्माण नहीं कर लेता।

(ग) अस्थायी भवन का रखरखाव और मरम्मत

केंद्रीय विद्यालय संगठन को विद्यालय संचालित करने के लिए उपलब्ध कराये गए अस्थायी भवन के सामान्य रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी प्रायोजक प्राधिकारी की होगी।

3. आवासीय सुविधा

प्रायोजक प्राधिकारी अपने कार्मिकों को जिन शर्तों के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन्ही शर्तों पर ही प्रस्तावित केंदीय विद्यालय में तैनात किए जाने वाले स्टाफ के लिए कम से कम 50% आवासों की व्यवस्था प्राथमिकता पर करनी होगी। आवासीय यूनिटों की संख्या विद्यालय के खोले जाने से पहले चिन्हित करनी होगी।

4. प्रवेश के लिए प्राथमिकता

सिविल /रक्षा क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं निर्धारित हैं:

1. केंद्र सरकार के स्थानांतरीय और गैर- स्थानांतरीय कर्मचारियों के बच्चे और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे। इन में उन विदेशी अधिकारियों के बच्चे भी शमिल होगें जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर आते हैं।
2. भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरीय और गैर- स्थानांतरीय कर्मचारियों के बच्चे।
3. राज्य सरकार के स्थानांतरीय और गैर- स्थानांतरीय कर्मचारियों के बच्चे।
4. राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरीय और गैर- स्थानांतरीय कर्मचारियों के बच्चे।
5. अन्य श्रेणियों के बच्चे जिनमें उन विदेशी नागरिकों के बच्चे भी शमिल जो अपने कार्य की वजह से या व्यक्तिगत कारणों से भारत में रूके हुए हैं। **विदेशी नागरिकों के बच्चों** तो तभी प्रवेश दिया जाएगा जब प्रतीक्षा सूची में कोई भारतीय नागरिक का बच्चा शेष नहीं हो।

टिप्पणी: प्रवेश में बच्चों को प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 सालों में हुए स्थानांतरण के आधार पर दी जाएगी।

प्रवेश के मामलों इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

टिप्पणी:-

केंद्रीय विद्यालय प्रवेश, फीस संरचना, सिलेबस, पढाईका माध्यम, द्व्यालय विकास निधि का उपयोग, अभ्यास पुस्तिकाएं, परीक्षा, पदोनाति, स्टाफ की स्वीक्रति के लिए मानदण्ड, शिक्षकों की योग्यता, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के बारे केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगें।

5. स्टाफ

केंद्रीय विद्यालय का सम्पूर्ण स्टाफ केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नबंधन और शर्तों के अनुसार विभिन्न वेतनमानों मे नियुक्त किया जाएगा ।

6. विद्यालय प्रबन्ध समिति

विद्यालय प्रबंध समिति का गठन संगठन द्वारा समय- समय पर जारी दिशा-निर्देशॉं के अनुरूप किया जाएगा।

7. एफिलिएशन/संबंद्ध

विद्यालय उचित समय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा, नई दिल्ली से संबद्ध लेगें।

8.अन्य

(क) प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय विद्यालय को चलाने के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तो का उल्लंघन किए जाने पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास विद्यालय को बंद किए जाने का अधिकार होगा और विभिन्न परिसम्पतियों और देनदारियों का निपटारा भारत सरकार के परामर्श से किया जाएगा।

(ख) इसके अतिरिक्त उपर्युक्त निबंधन और शर्तें समय-समय पर केविसं अधिशासी मंडल/भारत सरकार द्वारा निर्देशों के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है।

उपर संदर्भित निबंधन और शर्तों को स्वीकृत किया जाता है और उनकी पुष्टि की जाती है।

प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर मोहर के साथ

स्थान:........................

दिनांक:..........................

नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए सर्वे रिपोर्ट

I. स्थान/लोकेशन

1. जिस स्टेशन पर केंद्रीय विद्यालय खोला जाना है उसका नाम व पूरा पता पिन कोड के साथ : --

----

(i) स्थान ; --

(ii) पोस्टऑफिस :--

(iii) जिला एवं जिला मुख्यालय :--

(iv) राज्य :...

(v) निकटतम रेलवे स्टेशन(स्टेशन से विद्यालय की दूरी को दर्शाया जाए) :--

2. बैंक की सूविधा(निकटतम बैंक का नाम दर्शाए और बैंक से विद्यालय की दूरी को दर्शाया जाए) :--

3. विद्यालय परिसर में नकदी रखने पर सुरक्षा इंतजाम :--

4. (क) प्रायोजक प्राधिकारी का नाम :--

(ख) प्रायोजक प्राधिकारी के लिए कार्य करने या प्रस्ताव के संबंध में जिसे पत्राचार भेजा जाना है उनका पूरा नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नम्बर आदि --

II. विद्यालय के लिए उपलब्ध काराये जाने वाले भवन और खेल के मैदान की सुविधा

1. कक्षाओं के लिए कमरे, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विशेष कक्ष, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष (कृपया स्केच मानचित्र नत्थी करें और विभिन्न कमरों का माप भी दर्शाएं) : --

2. कमरों और परिसर में पंखे, बिजली और पानी की सुविधा :--

3. प्रस्तावित भवन कास्थान और स्टेशन पर आवासीय कोलोनी का मौजूदा परिसर : ....

4. खेल के मैदान और छात्रों के लिए : ....
खुला क्षेत्र ....
5. भवन, भूमि आदि के लिए देय
लाइसेंस फीस, यदि कोई हो : ....

III. **प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा निकट भविष्य में** : ....
उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य प्रस्तावित ....
भौतिक सुविधाएं और किस **तारीख तक यह** ....
सुविधाएं उपल्बध हो **जाएंगी** ....

IV. स्टाफ के लिए सुविधाएं

1. शैक्षिक और गैर-शैक्षिक स्टाफ को उपलब्ध : ....
कराए जा रहे आवासों का विवरण और शर्तें ....
जिनके आधार पर आवास दिए जा रहे हैं, कृपया ....
स्टाफ के लिए चिन्हित आवासों का विवरण दें।

2. स्टाफ को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं : ....
....

3. शोपिंग और खरीददारी की सुविधा : ....
4. स्टेशन पर यातायाा, मनोरंजन आदि की : ....
सुविधाएं और लागू शर्तें

V. भूमि

1. कॉलोनी/स्टेशन पर विद्यालय भवन के : ....
लिए चिन्हित नई साइट ....
2. विद्यालय के लिए उपर चिन्हित साइट का : ....
क्षेत्रफल. कृपया आवासीय कॉलोनी की साथ ....
की स्थिति को दर्शाते हुए मानचित्र नत्थी करें ....

3. केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विद्यालय ; ....
का स्थाई भवन और परिसर निर्माण करने ....
के लिए अनुलग्नक-1 के बिंदु1(ii) मे निर्धारित ....
मानदण्डों के अनुसार भूमि को नि:शुल्क ....
हस्तांतरित करने की व्यवहार्यता ....

VI. **स्टेशन और आस-पास के क्षेत्र में उपलब्ध कार्मिकों की श्रेणियां**
स्टेशन और आस-पास के क्षेत्र में उपलब्ध कार्मिकों

की श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

(क) भूतपूर्व सैनिकों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरीय कर्मचारी :..............................

(ख) भूतपूर्व सैनिकों सहित केंद्र सरकार के गैर- स्थानांतरीय कर्मचारी :..............................

(ग) भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरीय और गैर- स्थानांतरीय कर्मचारी :.............................

(घ) राज्य सरकार के स्थानांतरीय कर्मचारी :.............................

(ङ) राज्य सरकार के गैर-स्थानांतरीय कर्मचारी :.............................

(च) राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/ उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरीय और गैर- स्थानांतरीय कर्मचारी :.............................

टिप्पणी:- 'स्थानांतरीय' का अर्थ है वे कर्मचारी को पिछले 07 वर्षों मे कम से कम एक स्टेशन से दूस स्टेशन पर एक बार स्थानांतरित हुए हैं।

VII. नामांकन के लिए उपलब्ध विद्यार्थी :

1.

कक्षा	कितने विद्यार्थी रोल पर हैं	विद्यार्थी जिनको प्रवेश दिया जाना है
I		
II		
III		
IV		
V		
VI		
VII		
VIII		
IX		
X		

2. ऊपर VI (क) से (च) तक दर्शाई गई श्रेणियों के अनुसार विद्यार्थियों का वितरण:

i) ....
ii) ....
iii) ....
iv) ....
v) ....
vi) ....
vii) ....

VIII. फर्नीचर और अन्य शैक्षिक सामग्री

विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए केविसं के पक्ष में नि:शुल्क ;..
दिए जा रहे फर्नीचर और अन्य शैक्षिक सामग्री जैसे ब्लैकबोर्ड, ...
मानचित्र, प्रयोगशाला उपकरण आदि का विवरण ....

IX. वर्तमान में उपलब्ध स्कूली सुविधाएं

क्या वर्तमान में स्टेशन या आस-पास के क्षेत्र में :..
कोई विद्यालय चल रहा है? यदि हाँ, तो कक्षाओं, ...
विषय, पढाई का माध्यम, जिस माध्यमिक बोर्ड(राज्य/ ....
केंद्र) से सम्बद्ध है, उसका विवरण देवें ....

X. अगर विद्यालय की कोई शाखा हो तो प्राचार्य के लिए यातायात की सुविधा

पड़ोस के विद्यालय से प्राचार्य को शाखा विद्यालय के ....
निरीक्षण के लिए सप्ताह में कम से कम दो बार आने-जाने ....
के लिए वाहन की सुविधा ....

XI. **अगर परिसर में संचालित मौजूदा विद्यालय केंद्रीय विद्यालय को सौंपा जा रहा है तो निम्नलिखित बिंदुओं (ऊपर दर्शाए गए बिंदुओं के अतिरिक्त) के बारे में भी जानकारी देवें:**

(क) विद्यालय भवन और परिसर, कमरों की संख्या आदि का विवरण ....
....

(ख) विद्यालय में उपलब्ध छात्रों और शिक्षकों के लिए फर्नीचर और शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या आदि का विवरण ....
....
....

(ग) विद्यालय की चल और अचल परिसम्पतियों का विवरण ....

(घ) कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या

कक्षाएं	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
छात्रों की संख्या	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ड़) श्रेणीवार विद्यार्थियों का ब्यौरा

योग्य कार्मिकों की श्रेणियां (उपर पैरा 7 देखें)	विद्यार्थियों की संख्या
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

XII. इस प्रस्ताव के सम्बंध में अन्य कोई सम्बंधित जानकारी/ बिंदु

(हस्ताक्षर)

प्रभारी अधिकारी का नाम और पदनाम मोहर के साथ

स्थान:

दिनांक: